रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269759
CG-DL-E-01022026-269759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 401] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

सं. 56/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-। (आयात नीति) के अध्याय-29 के आइटीसी (एचएस) कोड क्रमशः 29411010, 29411050 और 29411030 के तहत आने वाले पेनसिलिन और इसके सॉल्ट्स, 6-एपीए और एमोक्सिसिलिन और इसके सॉल्ट्स की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 429(अ).— समय समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची I (आयात नीति) के आइटीसी (एचएस) कोड 29411010, 29411030 और 29414050 हेतु आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है।

आइटीसी (एचएस) कोड	**विवरण**	**मौजूदा आयात नीति**	**संशोधित आयात नीति**	**मौजूदा नीतिगत शर्त**	**संशोधित नीतिगत शर्त**
29411010	पेनसिलिन और उसके सॉल्ट्स	मुक्त	मुक्त	आयात की अनुमति पंजीकरण और अन्य आवश्यकताओं के अधीन है, जिसका संचालन औषधि एवं सौन्दर्य प्रशाधन अधिनियम के तहत भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा किया जाता है।	(क) तथापि भारतीय रुपये 2,216/- प्रति किलोग्राम से कम के सीआइएफ मूल्य वाले पेनसिलिन जी –पोटेशियम (पेन-जी) का आयात **'प्रतिबंधित'** है। (ख) तथापि, उक्त (क) में उल्लिखित न्यूनतम आयात कीमत, 100 % निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू), एसईजेड में इकाईयों और अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगा, बशर्ते आयातित निविष्टियां घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न बेची जाए; और (ग) आयात की अनुमति औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा शासित पंजीकरण और अन्य आवश्यकताओं के अधीन है।
29411030	एमोक्सिसिलिन और इसके सॉल्ट्स	मुक्त	मुक्त	अध्याय 29 की नीतिगत शर्त संख्या 08 के अधीन है।	(क) तथापि, भारतीय रुपये 2,733/- प्रति किलोग्राम से कम के सीआइएफ मूल्य की एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट का आयात **'प्रतिबंधित'** है। (ख) तथापि, उक्त (क) में उल्लिखित न्यूनतम आयात कीमत, 100 % निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू), एसईजेड में इकाईयों और अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगा, बशर्ते आयातित निविष्टियां घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न बेची जाए; और (ग) अध्याय 29 की नीतिगत शर्त संख्या 08 के अधीन है।
29411050	6-एपीए	मुक्त	मुक्त	-	(क) **तथापि, भारतीय रुपये 3,405/- प्रति किलोग्राम से कम सीआइएफ मूल्य के 6-एपीए का आयात 'प्रतिबंधित' है।** (ख) तथापि, उक्त (क) में उल्लिखित न्यूनतम आयात कीमत, 100 % निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू), एसईजेड में इकाईयों और अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगा, बशर्ते आयातित निविष्टियां घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न बेची जाए

2. ऊपर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से **एक वर्ष के लिए** लागू रहेंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

आइटीसी एचएस कोड 29411010 के तहत आने वाले पेनिसिलिन जी -पोटेशियम (पेन-जी), आइटीसी एचएस कोड 29411050 के तहत आने वाले 6- एपीए, और आइटीसी एचएस कोड 29411030 के तहत आने वाले एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट, जिनका सीआइएफ मूल्य क्रमशः 2,216/- रुपये प्रति किलोग्राम, 3,405/- रुपये प्रति किलोग्राम और 2,733/- रुपये प्रति किलोग्राम से कम है, का आयात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक साल की अवधि के लिए "प्रतिबंधित" हैं। तथापि, यह प्रतिबंध 100% निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), एसइजेड में इकाइयां और अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगा, बशर्ते आयातित निविष्टियां घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में न बेची जाए ।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[फा. सं. 01/89/180/04/एएम-24/पीसी-2(ए)/ई-39595]

लव अग्रवाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2026

No. 56/2025-26

Subject: Amendment in import policy and policy condition of Penicillins and its salts, 6-APA and Amoxycilline and its salts falling under ITC (HS) Code 29411010, 29411050 and 29411030, respectively, of Chapter-29 of ITC (HS), 2022, Schedule-I (Import Policy)

S.O. 429(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy(FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy against ITC (HS) Codes 29411010, 29411030 and 29411050 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2022 as under:

ITC (HS) Codes	Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
29411010	Penicillins and its salts	Free	Free	Imports are permitted subject to Registration and other requirements as administered by the Drug Controller General of India under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act.	(a) However, import of Penicillin G-potassium (PEN-G) having CIF value less than INR 2,216/- per Kilogram is '**Restricted**'. (b) The Minimum Import Price mentioned at (a) above, however, will not be applicable for import by 100% Export Oriented Units (EOUs), units in the SEZ and imports under the Advance Authorization Scheme subject to the condition that the imported inputs are not sold into the Domestic Tariff Area (DTA); and (c) Imports are permitted subject to Registration and other requirements as administered by the Drug Controller General of India under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act.

29411030	Amoxycilline and its salts	Free	Free	Subject to Policy Condition No. 08 of Chapter 29.	(a) However, import of Amoxicillin Trihydrate having CIF value less than INR 2,733/- per Kilogram is **'Restricted'** (b) The Minimum Import Price mentioned at (a), however, will not be applicable for import by 100% Export Oriented Units (EOUs), units in the SEZ and imports under the Advance Authorization Scheme, subject to the condition that the imported inputs are not sold into the Domestic Tariff Area (DTA); and (c) Subject to Policy Condition No. 08 of Chapter 29.
29411050	6-APA	Free	Free	-	(a) However, import of 6-APA having CIF value less than INR 3,405/- per Kilogram is **'Restricted'.** (b) The Minimum Import Price mentioned at (a), however, will not be applicable for import by 100% Export Oriented Units (EOUs), units in the SEZ and imports under the Advance Authorization Scheme subject to the condition that the imported inputs are not sold into the Domestic Tariff Area (DTA)

2. The restrictions imposed above shall take effect immediately and remain in force for **a period of one year** from the date of publication of this notification

Effect of this Notification:

The Import of Penicillin G-potassium (PEN-G) falling under ITC HS code 29411010, 6-APA falling under ITC HS code 29411050, and Amoxicilline Trihydrate falling under ITC HS code 29411030 , having CIF value of less than Rs 2,216/- per Kilogram, Rs 3,405/- per Kilogram and Rs 2,733/-per Kilogram respectively, are **"Restricted"** for **a period of one year from the date of publication of this notification**. However, this restriction **will not be applicable for import by 100% Export Oriented Units (EOUs), units in the SEZ and imports under the Advance Authorisation Scheme, subject to the condition that the imported inputs are not sold into the Domestic Tariff Area (DTA)**

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/04/AM-24/PC-2(A)/E-39595]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.